

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 11 जुलाई, 2018

विषय:- "आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली" द्वारा संचालित आर्मी इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलाजी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर में पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय में आपके पत्र संख्या-GGSIPU/JR(Administration)/1059 दिनांक 10-7-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली" को आर्मी इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलाजी, ग्रेटर नोएडा में पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से प्राप्त करने हेतु शासनादेश संख्या-743/सत्तर-1-2016-16(52)/2015 दिनांक 19 अक्टूबर, 2016, शासनादेश संख्या-5177/सत्तर-2-2003-24(90)/2003 दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 एवं शासनादेश संख्या-291/सत्तर-1-2015-16(52)/2015 दिनांक 07 मई, 2015 निर्गत किये गये हैं।

2- 'आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली' के "Aims and Objects of the Society" में निम्नवत् उल्लेख है :-

"(b) To promote and impart higher education including technical and professional education to the wards of Army personnel including war widows and ex-servicemen....."

3- 'आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली' के "Aims and Objects of the Society" में उक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि 'आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली' द्वारा स्थापित संस्थान में थल सेना के कार्मिकों, थल सेना के कार्मिकों की विधवाओं तथा पूर्व सैनिकों के आश्रितों को ही उच्च शिक्षा प्रदान करना सोसाइटी का उद्देश्य है। सोसाइटी द्वारा संचालित संस्थान में "Aims and Objects of the Society" के अनुरूप ही छात्रों का प्रवेश अनुमन्य होगा।

4- "आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली" को अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-743/सत्तर-1-2016-16(52)/2015 दिनांक 19 अक्टूबर, 2016, शासनादेश संख्या-5177/सत्तर-2-2003-24(90)/2003 दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 एवं शासनादेश संख्या-291/सत्तर-1-2015-16(52)/2015 दिनांक 07 मई, 2015 निर्गत किये गये हैं, जो एक साथ पढ़े जायेंगे।

उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-743/सत्तर-1-2016-16(52)/2015 दिनांक 19 अक्टूबर, 2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

संख्या-504(1)/सत्तर-1-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- कुलाधिपति के सचिव, गुरुगोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
- 2- कुलपति, गुरुगोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
- 3- कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- 4- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 5- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- 6- चेयरमैन, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF
SOCIETY ACT XXI OF
1860

No. S/ 13 459

of 1983.

I hereby certify that Army Welfare
Education Society." (AWES).

has this day been

registered under the Societies Registration, Act,
XXI of 1860.

Given under my hand at Delhi this 29th
day of April One Thousand Nine Hundred,
and Eighty Three.

REGISTRATION FEE OF Rs. 50/- PAID.

Hand

REGISTRAR OF SOCIETIES:
DELHI ADMINISTRATION: DELHI.

1. Name of the Society

2. Registered Office

3. Aims and objects of the Society

The name of the Society shall be Army Welfare Education Society (AWES)
Army Welfare Education Society, Adjutant General's Branch,
Integrated HQ of IV Corps (Army)
Building No 53, Kashmir House, Rajaj. Marg, D-42
20 New Delhi - 110011.

The aims and objects for which this Society is established are as Under:-

(a) To create or augment educational and Technical/Vocational training facilities to meet the needs of children of Army personnel including widows and ex-servicemen.

(b) To promote/impart higher education including technical and professional education to the wards of Army personnel including war widows and ex-servicemen. Professional education will include disciplines of Engineering, Medicine, Hospitality, Law, Education, Management, Journalism, Mass Communication, Fashion Design and any other subject that will be considered relevant from time to time.

(c) To develop co-educational Army Schools and Army Public Schools for imparting quality education at affordable cost to the children of Army personnel including ex-servicemen.

(d) To prepare the students for all India Secondary School and all India Senior School Certificate (10+2) stage) examinations of the Central Board of Secondary Education with a common syllabi thus enabling the children of personnel who are transferred to be admitted in mid-session.

(e) To promote development of academic excellence, discipline, personal character, high sense of values and national integration among the children of Army personnel.

(f) To promote sports and co-curricular activities.

(g) To gradually create adequate hostel facilities in selected Institutions/Stations.

(h) To encourage all educational institutions established by the society to attain financial self sufficiency within a reasonable period so that welfare funds allotted for educational facilities can be utilized for other educational projects.

(j) Undertaking fund raising activities for augmenting the resources made available from welfare funds



[Handwritten signature]
Name

[Handwritten signature]